भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5238 का उत्तर

रेल आरक्षण केन्द्र में कर्मचारी

5238. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल आरक्षण केन्द्र में कितने कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं और ये कर्मचारी और अधिकारी कितने वर्षों से तैनात हैं;

(ख) प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले और वर्ष 2006 से वापस स्थानांतरित किए गए मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक/आरक्षण लिपिकों का ब्यौरा क्या है और ये पर्यवेक्षक/लिपिक कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों पर रोटेशन स्थानांतरण लागू होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रेल आरक्षण केन्द्र में कार्यरत कर्मचारी क्षेत्रीयता, जाति, धर्म और किसी अन्य विशेष व्यक्तिगत प्राथमिकता के आधार पर या किसी सांसद के साथ संबंधों के आधार पर आरक्षण देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल आरक्षण केन्द्रों में तैनाती सहित रेल कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती/प्रतिनियुक्ति प्रशासनिक, परिचालनिक आवश्यकताओं और उपलब्ध रिक्तियों पर विचार करते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार किया जाता हैं।

संवेदनशील पदों पर तैनात रेल कर्मचारियों, जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो अक्सर जनता अथवा/और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं, को एक निश्चित अवधि के बाद, जैसा भी मामला हो, उनके मौजूदा पद/सीट अथवा स्टेशन से स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित होता है।

s.k

रेल कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण हेतु निर्देशों में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी (जैसे वाणिज्य पर्यवेक्षक, आरक्षण क्लर्क/बुकिंग क्लर्क, सभी प्रकार के वाणिज्यिक संविदाओं/लाइसेंसों से संबंधित कर्मचारी, टिकट जाँच कर्मचारी आदि) शामिल हैं।

साथ ही, आरक्षण केंद्र के कर्मचारी नियमों के अनुसार टिकट जारी करते हैं जो न्यायसंगतता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता पर आधारित होता हैं। सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

****

s.k